regarding status of implementation of recommendations contained in the Eighteenth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution.

SHORT DURATION DISCUSSION

Reply on proposal to set up SEZ in Nandigram, West Bengal and consequent large scale violence

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): श्रीमन्, यह बहुत अच्छा हुआ कि कल इस सदन में लंबे अरसे तक एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई और यह चर्चा बड़ी अच्छी हुई। बहुत सारे सम्माननीय सदस्यों ने जो यहां अपने सुझाव रखे, वे बहुत उपयुक्त हैं। उन सारे सुझावों पर अमल करना चाहिए, अमल हो रहा है और जिन सुझावों पर अमल नहीं हो रहा है, उन पर अमल करने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसके लिए जो गतिरोध पैदा हुआ था, वह दूर हुआ और उसे दूर करने में सभी सदस्यों ने एक दूसरे से बातचीत करके उसका एक सोल्युशन निकाला, यह बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हमें उनको बधाई देनी चाहिए।

श्रीमन्, जो पहली बात यहां पर आई, वह यह कि नंदीग्राम में जो हुआ, वह क्यों हुआ? एक सम्माननीय सदस्य ने यहां पर खड़े होकर कहा कि जो जमींदार की जमीन थी, वह बांटी गई और जो जमीन जोतता था, उनको दे दी गई, मगर जब वह जमीन लेने का प्रयास दूसरे काम के लिए होता है, तो जिसको वह जमीन मिली होती है, जो छोटा कास्तकार होता है, वह नाराज होता है। जमीन से देहात के लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं और हम सब जानते हैं कि एक एकड़ तो छोड़ो, अगर दो-तीन फीट जमीन भी एक की दूसरे के पास जाती है, तो उसके लिए लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, महाभारत में तो एक इंच जमीन के लिए कह दिया था कि नहीं देंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: जी। तो इस प्रकार से एक-एक फीट जमीन के लिए वे मरने के लिए और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जमीन के सिवाय उनके पास जीने का कोई दूसरा आसरा नहीं होता और इसीलिए अगर उनसे जमीन निकल जाए, तो जिएंगे कैसे, यह सवाल उनके सामने पैदा हो जाता है। अब इन दिनों में यह देखा गया है कि हमारी संख्या बहुत बढ़ रही है और जमीन बंट रही है। जमीन पर का जो बोझा है, वह बढ़ रहा है, उसको किस प्रकार से कम करना चाहिए, इसका विचार हम सब लोगों को, जो यहां पर बैठे हुए हैं, करना बहुत जरूरी है। अगर इसका विचार नहीं होगा तो जमीन का बोझा बढ़ेगा और ये झगड़े भी बढ़ते रहेंगे और एक हालत ऐसी आ जाएगी कि जमीन पर जो लोग मुनस्सर हैं, वह जमीन उनकी मदद करने के लिए भी काफी नहीं होगी। तो क्या रास्ता निकाला जा सकता है? रास्ता निकालने की कोशिश सरकार की ओर से है कि हम उद्योग बढ़ाएं, इंडस्ट्री बढ़ाएं। उद्योग अगर बढ़ाने हैं, इंडस्ट्री अगर लगानी है तो वह तो जमीन पर लगानी पड़ेगी और उसके लिए किसी न किसी की जमीन भी लेनी ही पड़ेगी तो अगर किसी की जमीन ली जा रही है तो वह आदमी जो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार जमीन को करता है, उसका क्या होगा, यह सवाल पैदा होता है। इसीलिए वहां पर जब यह कहा गया कि कुछ जमीन केमिकल हब के लिए सरकार की ओर से ली जा सकती है तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। उस आन्दोलन में सिर्फ जमींदार ही थे या जिसकी जमीन थी, वे ही थे, ऐसा नहीं है। देहात में तो जिसकी जमीन होती है, वह तो जमीन पर जीता ही है, मगर दूसरे आदमियों को जो काम मिलता है, वह भी जमीन पर ही मिलता है, इसलिए जो मजदूर होता है, उसका भी जीना उस जमीन पर ही मुनस्सर होता है और इसलिए सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं।

मैं अच्छी तरह से जानता हूं, यह आज की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात है जबकि हमारे यहां पर बड़े-बड़े तालाब बनाए गए और सब तालाबों का अगर आप इतिहास निकालकर देखेंगे तो पाएंगे कि एक भी तालाब ऐसा नहीं बना है, जहां पर जमीन लेने की कोशिश की गई हो और वहां पर आंदोलन न हुआ हो। कोई भी तालाब ऐसा नहीं बना है जहां कि वहां के काश्तकारों ने कहा हो कि आप जमीन ले लो, वे उसे देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके सारे जीवन का आधार वह जमीन होती है। महाराष्ट्र के अंदर जायकवाड़ी में, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं और उस समय

श्री शंकर राव चव्हाण इरिगेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने वह जायकवाड़ी का तालाब बनवाया। कितना बड़ा तालाब बना? 8 लाख हैक्टेअर ज़मीन को पानी देने वाला वह तालाब है, मगर एक लाख हैक्टेअर जमीन पानी में जाने वाली थी और पहले दिन से आखिरी दिन तक, जिसकी जमीन गई, वे विरोध करते रहे और कहते रहे कि श्री शंकर राव चव्हाण ने हमको बेघर कर दिया, हमको इस जमीन से निकाल दिया। यह एक जीवन की वास्तविकता है, एक सत्य है और इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसकी वजह से वहां पर आंदोलन हुआ, मगर इस आंदोलन में इतना ही हुआ ऐसा नहीं है।

मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहूंगा कि जब लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कि जमीन नहीं ली जानी चाहिए, तो मैं शायद समझता हूं कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने और खासकर के वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर आपका इसके लिए विरोध है तो हम यह जमीन नहीं लेंगे, स्पष्ट रूप से कह दिया। नोटिफिकेशन निकला हुआ नहीं था। मगर, लोगों को वहां पर बताया गया कि नहीं, वे कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़मीन ली जाएगी। इसकी वजह से वहां के लोगों ने आंदोलन शुरू किया। जिन्होंने ऐसा कहा, वह क्यों कहा, यह हम नहीं समझ सकते। यह कुछ अच्छे ख्याल से कहा होगा, ऐसा हमें नहीं लगता है। जब मुख्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि जमीन नहीं लेंगे, तो उनको मानना चाहिए था और जब उन्होंने कहा है, पेपर में आया है, लोगों के सामने जाकर कहा है और एक जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है तो उसको मानना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर इस प्रकार के हादसे करने के लिए कुछ लोग मन से तैयार बैठे थे। उसके अंदर एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी था और इस वजह से वहां पर आंदोलन हुआ। एक ने कहा है कि यह किसका खून है और कौन मरा है? यह खून हमारा ही है और मरा हुआ आदमी भी हमारा ही कोई भाई-बहन है-वह पुलिस वाला हो या गांव वाला हो, वह हमारा ही भाई-बहन है, मगर वह होता हुआ नजर आया। वहां पर पुलिस फायरिंग भी हुई, वहां पर लोगों की जानें भी चली गईं, पुलिस की भी जानें चली गईं, लोगों की भी जानें चली गई और बहुत लोगों को उसका नुकसान हुआ। और यह बात उसमें हो गई कि जो लोग यह कहते थे कि नहीं, नहीं, यह होने देना चाहिए, उन लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ा। और जब वह दूसरी जगह पर रहें, कितने दिन रहें, सात महीने, आठ महीने, दस महीने, ग्यारह महीने रहें। ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं कि वहां पुलिस को नहीं जाने देंगे, वहां गवर्नमेंट के अधिकारियों को नहीं जाने देंगे, वहां जिनका घर है उनको आने नहीं देंगे, उनके जमीन पर नहीं जाने देंगे, ऐसी हालत तो कहीं पर भी नहीं हो सकती, वैसी हालत वहां पर बन गई और इस हालत को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए गए, वह कठोर कदम थे, मगर कदम उठाए गए और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर यह हालत पैदा हो गई, इसको नजरअंदाज करके हम नहीं चल सकते हैं। अगर कहीं भी, अगर कोई कहे कि यहां पर सरकारी आदमी नहीं आ सकता, यहां पर पुलिस नहीं आ सकती, यहां हम जो कहेंगे, वही होगा, ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा की जानी चाहिए। यह बात सही है कि जितना भी हो नरमाई से बात करके, समझा करके इस मामले को सुलझाना अच्छा होता है, मगर यह नहीं हो रहा है तो ऐसी हालत भी कहीं रोकी नहीं जा सकतीं है, वैसी हालत हो गई है। अगर वह एक जगह पर हो गई तो दूसरी जगह पर भी वैसी हालत हो सकती है, तीसरी जगह पर वैसी हालत हो सकती है। और अगर ऐसी लिब्रेटेड जोन बने और कोई भी आकर करने लगे तो उसको नहीं किया जा सकता, मगर वहां वह बात हुई और जहां पर वह बात हुई, उसकी वजह से जो खून-खराबा हुआ, इसके लिए हम सबको दुख है। मैं समझता हूं कि यहां पर जिन सदस्यों ने बातें की हैं, हर तरफ के सदस्यों ने यह कहा है कि हमें दुख हुआ है, ऐसा शायद नहीं होता तो अच्छा होता, इसमें हमारी थोड़ी सी गलती भी हो गई है और उसको दुरुस्त भी करना चाहिए, यह बात सही भी हो सकती है। मगर यह जो हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है, इसको पूरी तरह से ध्यान में रखने के बाद ही उसके ऊपर हम किस प्रकार का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यह देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस सदन में भी कहा और यहां पर इस सदन में भी कहा ...(**व्यवधान**)... कि आज हमारी क्या जिम्मेदारी है, आज सरकार की क्या जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है, केन्द्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ सदस्यों ने भी अपने भाषण में यह बात कही है, उन्होंने कहा कि जो लोग भी अपना गांव छोड़कर बाहर गए हैं, उनको वापिस लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, उनको हम वापस लाएंगे। कहा है, मैंने नहीं कहा है, सारे सदस्यों ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वापिस आने के बाद उनको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाएगा, उनकी जान-माल की रक्षा की जाएगी, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। जान-माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह भी कहा है कि उनको नुकसान से निकालने के लिए जो हमें मुआवजा देना जरूरी है, कंपंसेशन देना जरुरी है, वह कंपंसेशन भी दिया जाएगा।

मैंने दूसरे हाउस में यह बात नहीं कही थी मगर यहां पर मैं कहना चाहता हूं क्योंकि कुछ सदस्यों ने कहा कि जिन लोगों ने भी ऐसे मौके का फायदा उठाकर ऐसी हालत बनाने का काम किया है उन पर भी जो कानूनन कार्रवाई हो सकती है, वह

होनी चाहिए। यहां पर सदस्यों ने भी कहा है कि हम जरूर कानूनन कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहा है, वह होना चाहिए। मेरे दृष्टि से आज की जो जरूरत है वह यही है कि वहां के जो लोग बाहर गए हैं, चाहे वे कम्युनिस्ट पक्ष के लोग हों, या नॉन-कम्युनिस्ट पक्ष के लोग हों, या कांग्रेस पक्ष के लोग हों, या तृणमूल कांग्रेस पक्ष के लोग हों, या ऐसे लोग हों जो किसी भी पार्टी को बिलांग नहीं करते हैं, उनको वापिस लाना हमारी जिम्मेदारी है, उनको संरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी है, उनके जीवन में कोई खलल पैदा हुई है तो उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है, उनको कंपंसेशन देना हमारी जिम्मेदारी है और जिन्होंने सोच-समझकर यह काम किया है, उसको भी सजा देना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, वह चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार हो या कोई और सरकार हो, इसमें कमी नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। जब वहां के मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम यह जरूर करेंगे, उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया। इस प्रकार से हमने पहले भी उनको बताया था, हमने इसकी पेपरबाजी नहीं की थी, मगर हमारी बात चलती रही, लिखित रूप से भी हमने कहा था, मौखिक रूप से भी हमने कहा था। पेपरबाजी इसलिए नहीं की थी क्योंकि हम आज कुछ कहते हैं तो उन्होंने ऐसा कहा, वह कुछ कहते हैं तो इन्होंने ऐसा कहा। वे कुछ कहते हैं, तो इन्होंने ऐसा कहा, पर एक-एक लफ्ज को निकालकर फिर उसका analysis हो जाता है, dissection हो जाता है, इसलिए वह टलने के लिए हमने पेपर में जाकर नहीं कहा, मगर जो भी कहना जरूरी था, कहा। मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वहां की सरकार ने कहा कि आपके कहने में हमको कोई गलती नजर नहीं आती, हम जरूर उस पर अमल करेंगे और कुछ हद तक उन्होंने उसके ऊपर अमल जरूर किया है।

महोदय, यहां पर एक सवाल और उठाया गया और बार-बार उठाया गया, वह था कि क्या नक्सलाइट्स उसके अंदर हैं? उसमें माओवादी हैं? किसी ने कहा नक्सलाइट्स, किसी ने कहा Maoists, किसी ने कहा terrorists वहां पर हैं क्या? तो यह जो सवाल यहां पर उठा है, मैंने उस सदन में भी कहा और इस सदन में भी कहा कि हमारे पास बहुत इनफॉर्मेशन है, मगर सारी की सारी इनफॉर्मेशन disclose करने से, हमें जो अपनी जिम्मेदारी निभानी है, उसमें अड़चनें निर्माण हो सकती हैं, इसलिए पूरी इनफॉर्मेशन देना, कभी भी देना, मददगार नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कुछ लोग जो हैं, behind the scene, पीछे रहकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, ऐसी इनफॉर्मेशन हमारे पास है। उसके साथ-साथ वहां पर जो हथियार मिले हैं, वे हथियार भी ऐसे हैं कि जिनको टेररिज्म करना है, वायलेंस करना है, उनके पास ऐसे हथियार मिलते हैं। दूसरे, वह एरिया रिवराइन एरिया है, समुद्र के नजदीक का एरिया है और यहां पर हथियार वगैरह जो बाहर से आते हैं, हमने देखा है कि ऐसे रास्ते से हथियार लाने की कोशिश की जाती है। इससे ज्यादा मैं इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस पार्टी के लोग हैं या उस पार्टी के लोग हैं, इनका नाम यह है या उनका नाम वह है, मैं नहीं कहना चाहता! यह कोई प्वाइंट स्कोर करने के लिए या किसी को प्रोटैक्शन देने के लिए मैं नहीं कह रहा, मगर सदन में बैठकर अगर हमें बातचीत करनी है, सारे तथ्य अगर हमारे सामने आएं, तो उसको ध्यान में रखकर हम अच्छी तरह से निर्णय ले सकते हैं, इतने ही उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूं। इसमें किसी मुद्दे को खोजना या किसी के खिलाफ बोलने या किसी को प्रोटैक्ट करने का उद्देश्य नहीं है। इससे ज्यादा इसके ऊपर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।

यहां एस॰ई॰जेड॰ की बात की गई। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि जितने भी सदस्यों ने यहां पर चर्चा में हिस्सा लिया, उन्होंने एस॰ई॰जेड॰ पर अपने विचार बड़ी स्पष्टता से रखे और बड़े अच्छे ढंग से रखे। मुझे ऐसा लगता है कि जो विचार यहां पर सदस्यों ने रखे हैं, वे विचार सरकार को अपनी नीति और नियम बनाने में बहुत ही उपयुक्त हो सकते हैं। एस॰ई॰जेड॰ बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस सरकार ने लिया या पिछली सरकार ने लिया, इस प्रकार से यहां पर कहने की जरूरत नहीं है, मगर एस॰ई॰जेड॰ बनाने का निर्णय किया। मगर यह भी सत्य है कि जिसकी जमीन जाती है, जो केवल जमीन के ऊपर निर्भर होता है, तो उसको बड़ा दुख होता है। तो इसमें से रास्ता कैसे निकालें? इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर कदम उठाना जरूरी है और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि एस॰ई॰जेड॰ या औद्योगिक केन्द्र बनाने के लिए, industrial hubs बनाने के लिए हमको जमीन तो लेनी पड़ेगी, मगर कैसी जमीन लेंगे? हम irrigated land नहीं, लेंगे, हम fertile land, उपजाऊ जमीन नहीं लेंगे। उपजाऊ जमीन लेकर अनाज बाहर से लाना कोई सही बात नहीं हो सकती, इसलिए उपजाऊ जमीन हम नहीं लेंगे। कैसी जमीन लेंगे? जो बंजर जमीन है, जहां पर कुछ उगता नहीं है, जहां पर कुछ पैदा नहीं होता है, ऐसी जमीन लेने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद जिसकी हमने जमीन ली है, उसको अगर हम उस जमीन के बदले में कहीं जमीन दे सकते हैं, वैसी जमीन अगर कहीं है, तो वह देने का भी प्रयास हमारा होना

[श्री शिवराज वी॰ पाटिल]

चाहिए। अगर जमीन नहीं है, तो compensation मिलना चाहिए और compensation देने में संकुचाई नहीं होनी चाहिए, सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि यह compensation ज्यादा हो रहा है, यह नहीं देखना चाहिए। जिसकी जमीन जा रही है, उसको हम जो मुआवजा देते हैं, वह माकूल होना चाहिए, उसको पूरा मुआवजा देना जरूरी है। कम्पेन्सेशन के बाद भी आज के लैंड एक्विजिशन एक्ट के नीचे भी सोलेशियम दिया जाता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि 1980 में सोलेशियम 12 या 15 परसेंट दिया जाता था। मगर श्रीमती इंदिरा जी के जमाने में यह चर्चा हुई कि आप जमीन एक्वायर कर रहे हैं और सोलेशियम 12 या 15 परसेंट दे रहे हैं, वह ठीक बात नहीं है। तो उसको बढ़ाकर 35 परसेंट तक कर दिया गया था। आज सुझाव ऐसा आ रहा है कि उसको 50 परसेंट तक ले जाइए या चाहें तो उसको दोगुना कर दीजिए, यानी सौ परसेंट भी कर दीजिए। मगर यह जरूरी हो गया है कि सोलेशियम 35 परसेंट तक न रहते हुए इसको बढ़ाकर देना पड़ेगा, चाहे वह 50 परसेंट हो या 60 परसेंट हो या 75 परसेंट हो या एक सौ परसेंट हो, उतना सोलेशियम देने का भी इंतजाम करना चाहिए। एक बात और देखी गई है कि कल यहां पर चर्चा हुई, तो कुछ सदस्यों ने कहा कि अगर जमीन लेते हैं तो जितनी जमीन की जरूरत है उतनी जमीन आप जरूर ले लीजिए, उसके सिवा कारखाना नहीं बनेगा, उद्योग नहीं बढ़ेगा, नहीं पनपेगा। अगर सौ एकड़ जमीन की जरुरत है तो एक हजार एकड़ जमीन नहीं ली जानी चाहिए। अगर एक हजार एकड़ जमीन ली है तो भी लेने दो उनको, मगर यह कह कर लेने दो कि अगर उस जमीन को कल आप बेच रहे हैं और उसके ऊपर आपको प्रोफिट मिल रहा है तो उसके प्रोफिट का हिस्सा, जिससे आपने जमीन ली है उसको वापिस कर दीजिए। यह उसी एग्रीमेंट में ही होगा और कानून में भी होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद जो एम्प्लोयमेंट की बात है, जितने लोगों को एम्प्लोयमेंट दे सकते हैं तो उतने लोगों को एम्प्लोयमेंट देना चाहिए। एक और बात जो सामने आई थी, वह है शेयर बेचने की। अगर किसी देहात में एक बंजर जमीन पर और जहां पहाड़ी है और जहां झाड़ी है वहां पर अगर कोई कारखाना बन रहा है तो वहां पर जो कारखाना बनेगा, जो उद्योग वहां पर बनाया जाएगा, उस उद्योग के शेयर्स भी जमीनदारों को लेने चाहिए और वे ऐसे शेयर्स होने चाहिए जो नॉन ट्रांसफरेबल हों, ताकि उनसे कोई दूसरा लेकर नहीं जाए। फिर जैसे-जैसे उद्योग बढ़ेगा वैसे-वैसे उसकी कीमत भी बढ़ेगी। इस प्रकार से काश्तकार का भी हित होगा और इस प्रकार से नया उद्योग भी लगाया जाएगा तथा उसको बढ़ाया जाएगा। इन सारी चीजों को विचार में लेकर एक नई पॉलिसी बनाने का सरकार का प्रयत्न चल रहा है, प्रयास चल रहा है। वह नई पॉलिसी लैंड एक्विजिशन के संबंध में होगी और रि-हैबिलिटेशन के संबंध में होगी। कारखाने के लिए तो जमीन बहुत थोड़ी लेते हैं मगर इरिगेशन डैम के लिए बहुत जमीन लेनी होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इरिगेशन डैम बनाने के लिए बहुत जमीन लगती है और लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं और छोटे-छोटे जमीनदारों से जमीन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन बड़े जमीनदार से एक हजार एकड़ जमीन लेना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना एक हजार छोटे जमीनदारों से जमीन लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए केन्द्र की सरकार को तो तालाब बनाने नहीं हैं, प्रांत की सरकार को तालाब बनाने हैं। मगर गए 15-20 साल से तालाब बनाने का जो काम है वह कम हो गया है और उसकी वजह से इरिगेशन केपेसिटी बढ़ी नहीं है और उसकी वजह से एग्रीकल्चर पर भी असर हो रहा है इसको भी ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखकर अगर ऐसी कोई नीति, ऐसी कोई धोरण या ऐसी कोई पॉलिसी बने जिसकी वजह से एग्रीकल्चरिस्ट को भी फायदा हो जाए, उद्योग भी बढ़ें और उसके संबंध में जो आने वाली सर्विस इण्डस्ट्री है तो वह भी अगर बढ़े और फिर इलेक्ट्रोनिक इण्डस्ट्री बढ़े, जेनेटिक इण्डस्ट्री बढ़े, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री बढ़े, तो यह सब कुछ हो सकता है। यह किए बगैर एस॰ई॰जेड॰ का प्रश्न तक नहीं होगा।

श्री यशवंत सिन्हा (झारखंड)**:** आप सदस्य के नाते बोल रहे हैं या मंत्री के नाते बोल रहे हैं। अगर मंत्री के नाते बोल रहे हैं तो पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसका उल्लेख नहीं है। यह कहना चाहिए यह पॉलिसी सरकार बना रही है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: हां, वही बोल रहा हूं।

श्री यशवंत सिन्हा: नहीं, वही नहीं बोल रहे हैं आप। आप कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे? ...**(व्यवधान)** नहीं कब तक बनेगी।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: आप बिना वजह मुझे मत रोकिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री यशवंत सिन्हा: नहीं, बिना वजह नहीं है।

श्री उपसभापति: उन्होंने कहा कि पॉलिसी बन रही है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: देखिए, वह पॉलिसी हमारे पास बनकर आई हुई है और हम देख रहे हैं। मगर हमको उस पर आप जैसे होशियार, जानकार लोगों से भी चर्चा करनी है, सब के साथ चर्चा करनी है। यह हमारी पॉलिसी थोड़ी ही है आप सबकी पॉलिसी रहेगी। इसलिए मैं जो कह रहा हूं यह सरकार का दृष्टिकोण है। अगर आप सब ने उस पर कह दिया है कि ऐसा नहीं करना है तो नहीं करेंगे। आपने कह दिया कि इसको करिए, तो हम कर देंगे। मगर आपको दिक्कत क्या है जो मैं बोल रहा हूं! ...(**व्यवधान**)

श्री यशवंत सिन्हा: आप करिए। ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: देखिए, यशवंत सिन्हा जी। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... आप उनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप जैसा चाहते हैं, वैसा ...(**व्यवधान**)... यह उनका दृष्टिकोण है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): सर, गृह मंत्री जी बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, आप उनको सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: उपसभापति महोदय, मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): सर, मंत्री जी कह रहे है। कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

†[**شری شاہد صدیقی :** سر، منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہئے، ویسا ہونا چاہئے ۔مداخلت]

श्री उपसभापति: शाहिद सिद्दिकी साहब, प्लीज। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: उपसभापति महोदय, शायद मुझे इस पर जितना बोलना था, उतना बोल चुका हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी तरफ से इसमें कुछ इन-पुट्स आयें, तो उनको भी ध्यान में रखा जायेगा। ...(**व्यवधान**)... मगर यह जो पॉलिसी है, वह फाइनलाइजेशन की स्टेज पर है, इतना मैं आपको बताता हूं। इसकी एक कमेटी बनी है, इतना मैं आपको बताता हूं और इस दृष्टि से विचार चल रहा है।

यहां पर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट सम्मानीय सदस्य श्रीमती सुषमा स्वराज की तरफ से रखा गया। अपने भाषण के आखिर में उन्होंने कहा कि यह जो Maoism है, उसकी आप क्या डेफिनेशन देते हैं, उसका आप कैसे विरोध करना चाहते हैं। अब यह बहुत बड़ा विषय है, शायद जितना मुझे टाइम है, उतने टाइम में इसके ऊपर पूरी तरह से बोलना, शायद मुझे सम्भव नहीं होगा, मगर थोड़े समय में, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए कोई भी 'ism' हो, कोई भी थ्यौरी हो, उसको पूरी तरह से सभी लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है और पूरी तरह से सभी लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग कुछ चीजें मान लेते हैं, कुछ चीजें रिजेक्ट कर देते हैं और एक जगह पर एक चीज़ मानी जाती है, दूसरी जगह पर वह नहीं मानी जाती है। एक समय पर वह मानी जाती है, दूसरे समय पर वह नहीं मानी जाती है। 'ism' का, 'ideology' का या 'theory' का विरोध नहीं है, मगर ऐसी कोई चीज़ है, जो हमारे देश के ethos से जमती नहीं है, तो वह नहीं होगी। हमारे देश का ethos क्या है, जब हम बाहर देश में जाते हैं और लोग पूछते हैं कि क्या अहम चीज़ आपके देश में है, तो हम कहते हैं tolerance, हम कहते हैं कि हम हर चीज़ को एक विस्तृत रूप से देखते हैं और tolerate करते हैं, tolerance हमारी सबसे अहम चीज़ है। मगर कोई अगर कहे कि जमाना बदलना है तो tolerance से नहीं बदलेगा, बंदूक से बदलना चाहिए, गोलियों से बदलना चाहिए। क्या इसको हमारे देश के लोग मान्य करेंगे! यहां पर बहुत दफा चर्चा हुई है, नक्सलिज्म पर चर्चा हुई है, वायलेंस पर चर्चा हुई है और इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा हुई है और अनेक बार जब मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की है, तो मैंने कहा है, मैंने बार-बार कहा है कि हमारे देश के 99 परसेंट लोग पीस लविंग हैं, यहां के लोग शांतिप्रिय हैं और वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। पुलिस की शक्ति तो है ही फौज की शक्ति तो है ही, मगर जो यहां के लोगों की मानसिकता है, मानव की, मनुष्य की वह सबसे बड़ी शक्ति और वह मानसिकता है शांतिप्रियता। इसलिए हम ये चीजें बंदूक से कर सकते हैं, यह हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई कहते हैं कि राजकारण के लिए, कोई कहते हैं कि राजकारण करना है, तो क्या करो, पैसे कमाओ, राजकारण करना है तो असत्य बोलो, राजकारण करना है, तो धोखा दे दो और जीतो और जीतना ही सबसे अहम चीज़ है। मगर ऐसी जीत बहुत देर तक नहीं चलती है। अगर आप सही ढंग से काम करेंगे, तो शायद जीत कमाने के लिए आपको थोड़ी देर लग जायेगी, मगर बाद में वह जीत बड़ी स्थिर होगी और उसके आधार पर अपना सब कुछ बना पायेंगे। यह देखने का अपना-अपना दृष्टिकोण है। हम यहां पर Maoism हो या नक्सलाइट हो गया, जो भी टेरेरिस्ट हैं, वे कहते हैं कि हम बंदूक के आधार पर यहां चेंज कर देंगे, सरकार

† [Transliteration] of Urdu Script

चेंज कर देंगे, यह हमको और सरकार को मान्य नहीं है और मैं समझता हूं कि 99 परसेंट लोगों को यह मान्य नहीं है और हम इसको मान्य कभी नहीं करेंगे। बंदूक के आसरे से चेंज करने की बात नहीं है, bullet से नहीं ballot से करो। हम कहेंगे कि लोकतंत्र के माध्यम से आ जाओ, बैठों और राज करो! हमको इसमें कोई विरोध नहीं है, मगर आप कहेंगे कि हम innocent लोगों पर गोलियां चलाएंगे, जहां पर कुछ लोग नहीं हैं, वहां पर जाकर हम मारेंगे, खून-खराबा करेंगे और फिर हम वहां राज करेंगे, यह हिन्दुस्तान में होने वाला नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिनेश त्रिवेदी (पश्चिमी बंगाल)**:** जहां निहत्थे लोगों को मारा जाएगा तो आप उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? . ..(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: देखिए, सवाल-जवाब नहीं चलेगा। ...(**व्यवधान**)... मिस्टर दिनेश त्रिवेदी ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप बैठिए।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन् यहां पर ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो मैंने यह कहा कि देखिए, आप यहां डरने की बात मत कीजिए। हमारे लोग शांतिप्रिय हैं और हमारी युनिफार्म में जो लोग हैं, वे इतनी संख्या में हैं कि इनसे डरने की बात नहीं है और हम सारे लोग मिलकर उसको करेंगे। मैंने कहा कि naxalite मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, हमने यहां से, आपने क्या किया, हमें क्या करना है, हमारे जो साथी वहां स्टेट में बैठे हैं, उनकी मदद करनी है। मैंने उनको बताया कि हमने 33 battalions देखी है। हमारे पक्ष के एक साथी ने कहा कि क्या आप सिर्फ बंदूक से करना चाहते हो? हमने कहा कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ बंदूक से नहीं, हम बात करके भी करने के लिए तैयार हैं, अगर वे हथियार रख दें तो। जब हम बात करने की बात कर रहे थे, तब लोगों ने कहा कि आप बात करने की बात कर रहे हैं। आप यह कहां आकाश में उड़ रहे हो, आप जमीन पर चलो। इसके बाद हमने कहा कि यहां पर इसके अंदर economic elements भी हैं। अगर कोई गरीब है, अगर कोई बेकार है, तो आप उस आदमी के लिए मदद करने की बात करो। अगर कहीं पर कोई इलाका डेवलप नहीं हुआ है, तो आप उसको डेवलप करने की बात करो। उसके लिए पैसा भी दिया हुआ है, मगर जो हमारे पक्ष के साथी हैं, उनको भी मालूम नहीं है। वे बोल रहे हैं कि हम बंदूक से ही करते जा रहे हैं। हम बंदूक से नहीं करते जा रहे है। हम बात से भी करेंगे, economic justice देकर भी करेंगे, सोशल जस्टिस देकर भी करेंगे और हम पूरा all round development करके करेंगे, यह उसका दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण एक सर्वांगीण दृष्टिकोण है, holistic एटिट्यूड है। हमारा दृष्टिकोण एक रास्ते से जाने का नहीं है, बल्कि हर रास्ते से जाकर करने का है। मैंने एक बात फिर यह कह दिया कि वे हमारे भाई हैं, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हमारे ऊपर लोग आर्टिकल लिखने लगे कि तुम उनको भाई कहते हो। हम उनको भाई नहीं तो क्या कहेंगे? वे कहीं आकाश से तो आए नहीं हैं, परदेश से तो आए नहीं है, वे तो यहीं के रहने वाले हैं। गुस्सा करने वाला भाई आपके घर में भी हो सकता है और आपके घर में भी हो सकता है। क्या आप उठकर उसको गोली मारेंगे? अगर वह कर रहा है तो उसमें उसको गोली मारने की जरूरत है, तो जरूर वह करने का कर्तव्य किया जाएगा। मगर सिर्फ उससे काम नहीं होगा, दृष्टिकोण क्या है, आप क्या चाहते हैं कि इस मामले को सुधारना है या केवल टीका-टिप्पणी करनी है? यदि आपको टीका-टिप्पणी करनी है, तो आप कुछ भी बोलिए। यदि सुधार करना है तो सर्वांगीण दृष्टिकोण से उसकी ओर देखिए। यदि आप उसकी ओर holistic दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह हो सकेगा अन्यथा नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, अगर जरूरत हुई और किसी वक्त और मौका मिला तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मगर संक्षेप में, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारा और उनका जो फर्क है, वह यह है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। हम rule of law में विश्वास करते हैं, वे बंदूक में विश्वास करते हैं। हम काम करके, सबको साथ लेकर, आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, वे कहते हैं कि हमारे खिलाफ जाता है, उसको हम खत्म करके आगे बढ़ते हैं। यह हमारा और उनका फर्क है और ऐसा हमको मान्य नहीं है और आपको भी मान्य नहीं है। इस सदन को मान्य नहीं है। ...(**व्यवधान**)...यही मैं बताना चाहता हूं। आपने पूछा, तो मैं उसका जवाब दे रहा था। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड)**:** वहां माओवादी नहीं है। आप आह्वान कर रहे हैं कि वहां पर माओवादी हैं, ...(**व्यवधान**)... एस्टेब्लिश कर रहा है। ...(**व्यवधान**)...यहां सदन में सबने कहा था कि माओवादी नहीं है और आप कह रहे हैं कि माओवादी हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, आप बाद में ...(**व्यवधान**)... Let the hon. Minister complete his reply, then you may seek clarifications. Right now, you are not even allowing the hon. Minister

to proceed ...(*Interruptions*) ... अहलुवालिया जी, अहलुवालिया जी ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)...ऐसे नहीं होगा। There should be order in the House. ...(*Interruptions*)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... पाणि जी, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... We have not completed and you go on ...(*Interruptions*)...

SHRI DINESH TRIVEDI: He is misleading the House ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, Mr. Trivedi. It will not be recorded ...(*Interruptions*)... Please, let the hon. Minister complete. Then, if you want ...(*Interruptions*)... ऐसे न तो कुछ जवाब मिलेगा और न ही आप कुछ कह सकेंगे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI S.S. AHLUWALIA:*

SHRI DINESH TRIVEDI:*

श्री उपसभापति: यह सही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...This is not correct ...(*Interruptions*)...

श्री यशवंत सिन्हा: वहां माओवादी हैं या नहीं हैं ...(**व्यवधान**)... मैं बता रहा हूं आपको ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैं आपको बोल नहीं सकता हूं ...(**व्यवधान**)... Let him conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभापति जी...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... Let him conclude. ...(*Interruptions*)... Let him conclude. Then you can ask...(*Interruptions*)...

प्रो. राम देव भंडारी: मंत्री जी के भाषण में जो सच्चाई है, वे नहीं समझते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उनका रिप्रेजेन्टेटिव, ज्वाइंट डायरेक्टर, गवर्नर को रिपोर्ट करता है ...(**व्यवधान**)... चीफ मिनिस्टर को करता है ...(**व्यवधान**)... होम मिनिस्टर को करता है ...(**व्यवधान**)... वह कैसे करता है...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप जो कहना चाहते हैं...(**व्यवधान**)...यह मिनिस्टर का चांस है कि जो करना है, वे कहेंगे ...(**व्यवधान**)...आप जैसा कहेंगे, वैसा कोई नहीं कहेगा ...(**व्यवधान**)...आप बैठिए ...(**व्यवधान**)...Please sit down. ...(*Interruptions*)... Let the hon. Minister conclude. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI S.S. AHLUWALIA:*

SHRI DINESH TRIVEDI:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister has not concluded his reply. Once he concludes, then, if you want, you can seek clarification. ...(*Interruptions*)... Please let him conclude. ...(*Interruptions*)... बीच-बीच में आप बोलते रहेंगे तो क्या मालूम पड़ेगा ...(**व्यवधान**)... ठीक है... (**व्यवधान**)... आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है. ...(**व्यवधान**)... क्या फायदा ...(**व्यवधान**)... आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... आप उससे पहले बीच में बोल रहे हैं...(**व्यवधान**)... आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है ...(**व्यवधान**)... आप कैसे जानेंगे ...(**व्यवधान**)... वे जवाब नहीं देंगे ...(**व्यवधान**)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the last point that I want to make is the point relating to Articles 355 and 356. I am very happy that the responsible Members did not make any suggestions relating to Articles 356 and 355, but they were hinting at them.

* Not recorded.

श्री यशवंत सिन्हा: सुषमा जी ने सवाल उठाया था ...(व्यवधान)... क्या वे इररिस्पोंसिबल हैं ...(व्यवधान)... is she irresponsible? ...(*Interruptions*)...ये क्या कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I do not hold you as irresponsible, but your colleague ...(*Interruptions*)... The point that I was making was that there were not many Members who suggested that the Government of India should use Article 356 against that Government ...(*Interruptions*)... I am saying there were not many Members who made that kind of suggestion and there were some who were indirectly suggesting that that should be done. But you shall have to bear in mind that if you are asking this thing to be done against one State, you won't be allowed to say that this thing should not be done against another State. ...(*Interruptions*)...Again, we will ask you a question ...(*Interruptions*)...

DR. FAROOQ ABDULLAH (Jammu and Kashmir): Article 356 should be removed from the Constitution of India. We actually want Article 356 to be removed from the Constitution of India because you tried to dismiss Governments. We do not agree with you. It has happened in the past. West Bengal has faced it in the past. I hope, Sir, you will never use this article ever in the history of India in future. ...(*Interruptions*)...

SHRI DINESH TRIVEDI: But you swear by the Constitution that you are duty-bound to use it. ...(*Interruptions*)...

DR. FAROOQ ABDULLAH: No, you should never use it. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: आर्टिकल 356 से अलग बात कीजिए ...(व्यवधान)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The last point that I was making was that in our Constitution it is provided that the Government of India in certain circumstances may discuss issues with the State Government to bring about a kind of coordination and cooperation on certain important issues for which purpose the directions can be given and advisories can be sent for which purpose, the directions can be given, advisories can be sent. If discussions are held, directions are given, that does not mean that automatically, it will lead to article 356 and removal of the Government. Now, article 356 relates to the breakdown of the constitutional machinery in the State. It may be a political breakdown, or economic breakdown, and law and order situation also. But, when and in what fashion, it has to be done, that has also to be considered, Supposing, a few villages are affected, will it allow any Government at the national level to impose President's Rule or any kind of rule in the entire State as such? And, what did we do in the past? We cannot forget that also. Now, when things happened in some other States and there were demands made and so many people died - I am not mentioning the name the States. You all know the names of the States where these things happened - you did not impose article 356, the President's Rule, over there. That is also to be remembered when we are suggesting this. If you are sitting here and if you are sitting there, your stand should be the same. If you are taking one stand while sitting here and another stand while sitting there, it will create problem for yourself. But, if you are ...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: What stand did you take on Bihar? You dissolved the Assembly in Bihar. In Jharkhand, what did you do? Don't preach to us. ...(*Interruptions*)...

प्रो० राम देव भंडारी: बिहार में आपने यूज किया था...(व्यवधान)... राष्ट्रपति शासन तो आपने यूज किया था ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The point I am making is that the framers of the Constitution have provided article 355 and article 356 with an intention of allowing the Union Government to take appropriate action in certain situations, but these articles have to be used very-very carefully. Mistakes can be committeed and then, we can cite the instances as to when the mistakes were committed - when nine State Governments were dissolved; when in nine States, President's Rule was imposed. We are not referring to those instances. But, while discussing this issue, Dr. Babasaheb Ambedkar had said, "I hope that there will arise no occasions to make use of this article." And, what did he say? He said, "You do it in a very careful manner; when it is absolutely necessary." I can assure this House, apart from the mistakes committed in the past by that Government, or some other Government, or someone else, or by ourselves, we would be very careful in using these articles. We would not say that when occasion arises, it would not be used, but we will not use it lightly or we will not use it in a manner which will be suspicious, which will not be acceptable to those who understand the provisions of the Constitution. I cannot say more than this. It is not necessary.

I would like to congratulate Shrimati Sushma Swaraj. She presented the case in a propoer manner and I would like to say that all other Members also presented the case in a proper manner. Shrimati Brinda Karat, as usual, in her eloquent style, put the facts on behalf of her party in a very-very appropriate manner and I thank all the hon. Members who participated in this debate and made excellent contribution. Thank you, Sir.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति जी।

श्री उपसभापति: सुषमा जी, आप केवल क्लैरिफिकेशन पूछिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं केवल क्लैरिफिकेशन पूछ रही हूं।

उपसभापति जी, कल नंदीग्राम के विषय पर इतनी गम्भीर और विस्तृत चर्चा का जवाब गृह मंत्री इतनी मजबूरी और संकोच से देंगे, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। मैंने बहस में तीन अहम प्रश्न उठाए थे। पहला यह था कि क्या नंदीग्राम के उन गांवों में माओवादी हैं या नहीं। गृह मंत्री जी ने जवाब में यह कहा कि उनके पास सूचना है, लेकिन उसका खुलासा करना लोकहित में नहीं है। उपसभापति जी, सच्चाई यह है कि लोकहित में तो है, लेकिन सरकार के हित में नहीं है, क्योंकि अगर सरकार खुलासा कर दे, तो सहयोगी नाराज हो जाएंगे और सहयोगियों की गाज सरकार पर गिरे, यह गृह मंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर इनकी मजबूरी मैं समझ सकती हूं।

श्री उपसभापति: आप क्लैरिफिकेशन पूछिए। यह क्लैरिफिकेशन नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि माओवाद के प्रति आपकी सोच क्या है। उसका जवाब इन्होंने दिया कि वे दोनों तरह की सोच रखते हैं। वे उनका आर्थिक उत्थान भी करना चाहते हैं, उनसे बात भी करना चाहते हैं, मगर बंदूक का मुकाबला भी बंदूक से करना चाहते हैं।

मेरा तीसरा प्रश्न अनुत्तरित रह गया, जिसके लिए मैं खड़ी हूं। मैंने यह पूछा था कि क्या बंदूक का मुकाबला करने का जो तरीका नंदीग्राम में अपनाया गया है, सरकार उसे मान्य करती है कि स्थापित सुरक्षा तंत्र को एक तरफ कर के किसी राजनीतिक दल के काडर को यह इजाजत दे दी जाए कि वह स्वयं अपने माध्यम से उस हिंसा से निपटे? इस पर गृह मंत्री मौन रहे हैं और यह नंदीग्राम की हिंसा का मूल है। इसलिए पूरी की पूरी बहस का उत्तर बेमानी हो जाएगा, गृह मंत्री जी, अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे, जो मैंने आपसे पूछा और जानना चाहा कि जो तरीका नंदीग्राम में माओवादियों की हिंसा से, तथाकथित माओवादी हिंसा से, निपटने का अपनाया गया है, क्या केन्द्र सरकार उस पर अपनी सहमति की मुहर लगाती है? क्या उस हिंसा से निपटने की जो कार्ययोजना आप तैयार कर रहे हैं, उस योजना को इसमें आप शामिल करेंगे? यह मेरा प्रश्न था, जो अनुत्तरित रह गया। कृपया इसका जवाब देने की कृपा करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ekanath Thakur. Please seek clarifications only.

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): Sir, I have only two questions. During the course of the debate and even earlier on a previous day, a senior Member of the Treasury Benches went on record to say that 'naxalism' is not a form of 'terrorism'. I repeatedly asked the hon. Home Minister then, and, I ask him now to clear his opinion. this is my first question.

Now I come to my second question. I will not ask any further question. Yesterday, during the course of the debate, hon. Member, Mr. Sitaram Yechury went on record to say that what is happening there. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You don't ask clarification on what other Members have said. ...(*Interruptions*)... You please seek a clarification from the hon. Minister. What Mr. Sitaram Yechury said is not the point here.

SHRI EKANATH K. THAKUR: That concerns the Home Minister. The question of law and order. ...(*Interruptions*)... Mr. Sitaram Yechury said that the people there, the so-called Maoists, have waged a war against the State.

श्री उपसभापति: ऐसा नहीं हो सकता। Seek the clarification.

SHRI EKANATH K. THAKUR: I want to know from the hon. Minister whether there are any people there who have waged a war against the State, and, if that is so, does he, as the Home Minister, consider that to be a part of his responsibility.

श्री उपसभापति: श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, मैंने कल मंत्री महोदय से कुछ सवाल किए थे, जिनका जवाब नहीं आया है, पर मेरा एक एप्रिहेंशन है जो मैं सदन के माध्यम से उनके सामने रखना चाहता हूं और उसकी व्यवस्था चाहता हूं।

छोटा अंगड़िया में जो कार्नेज हुआ था, उसके दो एक्यूज्ड पकड़े गए हैं और जो पुलिस कस्टडी में हैं, उनके नाम हैं— शुकूर अली और तपन घोष। यह जो नंदीग्राम को खाली कराने के लिए कुख्यात डकैत सलीम लश्कर के साथ तीन दिनों का 18 करोड़ रुपए की एग्रिमेंट हुआ, 20 हजार रुपए फी आदमी 300 आदमियों की सप्लाई दी गई उसके साथ ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): This is highly objectionable. ...(*Interruptions*)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आप ऑब्जेक्शन करते रहिए ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, this is highly objectionable. How can you allow this, Sir? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are raising new points. ...(*Interruptions*)...

नहीं, नहीं। मैं मानता हूं ...(व्यवधान)... वृंदा जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, how can he be allowed to level ...(*Interruptions*)... We cannot tolerate it. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: वृंदा जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)... आप प्लीज बैठिए ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: This is not fair that he is. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not for you ...(*Interruptions*)... You please sit down. ...(*Interruptions*)... You cannot bring new facts. ...(*Interruptions*)...

वृंदा जी, मैं उनको बोल रहा हूं, तो फिर आप कैसे ...(व्यवधान)...

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): Sir, what is this? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Madhu, please sit down. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am teling the hon. Member whatever I have to tell. In the meantime, you are getting up and protesting. What can I do? How can I control? Please ...(*Interruptions*)... You also have to cooperate if the House has to be conducted. ...(*Interruptions*)... No, no, this is not cooperation Mr. Madhu. Don't say that this is cooperation. Mr. Ahluwalia, you are raising certain points.

SHRI S.S. AHLUWALIA: But, these are not new points. ...(*Interruptions*)... yesterday, I raised these points.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... It is the time for clarifications. ...(*Interruptions*)... you have not raised these points during the debate ...(*Interruptions*)... I cannot ...(*Interruptions*)... You have not raised these points during the debate. ...(*Interruptions*)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is a part of the proceedings. ...(*Interruptions*)... It is a part of the proceedings. ...(*Interruptions*)... I raised it yesterday. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair is capable of controlling. I do not need anybody's assistance.

SHRI S.S. AHLUWALIA: My apprehension is that these three people, Sukul Ali, Tapan Ghosh and Salim Lashkar, are under the custody of CID, Kolkata. They should be taken over by the CBI and their security should be tightened because my apprehension is that they will be eliminated by the 'Red Cadre. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Bimal Jalan ...(*Interruptions*)... Dr. Bimal Jalan ...(*Interruptions*)...

DR. BIMAL JALAN (Nominated): Sir, I am asking for a clarification on the whole question of Special Economic Zones. On this question of Special Economic Zones, the hon. Home Minister told us that the Government was looking again at the policy aspects and so on. My query is, whether the Government will be prepared to examine the basic and the fundamental issue of Special Economic Zones. It seems to me, that we have turned the whole policy of Special Economic Zones upside down. It has nothing to do with Nandigram. In the rest of the world, you decide where that Special Economic Zones will be and then you invite applications. What we have done in our country is that we invite applications for SEZs from private parties or private interests and then say that they will set up the Special Economic Zones here or there or elsewhere. Then the Government intervenes to acquire land or private parties intervene to acquire the land.

Now, this is putting the whole thing upside down. The clarification that I am asking is, would Government be prepared to consider this fundamental question *i.e.* that do not invite applications for SEZs. You decide, public decides, public interest decides, the Government decides where the Special Economic Zone would be, where there is no tension between the agriculture and industry. Because once you create tension between agriculture and industry, you are killing the golden goose, which is industry or agriculture. There is no country in the world, as far as I know and I can say this with authority, where there is this tension between agriculture and industry. You have to make industry compatible with the interests of landowners and agriculture. And, that will only be done if you just completely reverse the

process. So, this is the clarification that I am asking. Are you only changing some of the rules, or, are you willing to change also the basic concept of SEZ that instead of inviting applications, the Government of India will first decide where the Special Economic Zones will be located after taking into account all the relevant considerations. Thank you.

SHRI DINESH TRIVEDI: Thank you, very much, Mr. Deputy Chairman, Sir, I will just seek a direct clarification. Sir, law and order is rightly a State subject and whenever you say something. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The whole House seek clarification. Please cooperate. It is not possible. Everybody wants to ask. I can allow three or four clarifications. I cannot again allow the entire House to seek clarifications. This is not correct.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, there is a divergent view from what I just heard from you, Sir. The Home Secretary, Government of West Bengal, has gone on record. If I may please have your attention, Mr. Home Minister, Sir. Sir, आपकी तवज्जह चाहूंगा। Sir, the Home Secretary, Government of West Bengal, has very categoricaly said that there were no Maoists. This is number one. The second thing he has said on record is that the firing had been done by the CPI (M) cadres. The Governor of West Bengal said on 15th March that the firing which the police did against the people—I can understand if there were extremists or this and that, but those people who were fired at—did not belong to any of this category. If you have some information, I think you are duty-bound to share it with us. ...(*Interruptions*)... How are you going to look after. ...(*Interruptions*)...

1.00 PM

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dinesh, you cannot go on debating it like this. ...(*Interruptions*)...

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में पूछूंगा। माननीय मंत्री जी, कल एनडीटीवी पर माओवादियों के एक बड़े नेता ने आकर स्पष्ट कहा कि नंदीग्राम में उनकी उपस्थिति है। बहन सुषमा जी ने भी ऐसा कहा है, अपना प्रश्न भी रखा है और अपने भाषण में आपने भी कहा है कि नंदीग्राम में इस तरह के हथियार मिले हैं, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये जो इतने खुलकर के माओवादी दूरदर्शन पर जा रहे हैं, टेलीविजन चैनलों पर जा रहे हैं और अपनी उपस्थिति, वहां गड़बड़ी की बात फैला रहे हैं, तो गृह मंत्री के रूप में आप सदन को स्थिति स्पष्ट बता दें, अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना है तो, क्योंकि माओवादी स्वयं साक्षात्कार दे रहे हैं कि वहां पर नंदीग्राम में माओवादी उपस्थित हैं। इससे इस तरह की जो एक भ्रामक स्थिति बनी हुई है, उसका निराकरण हो जाएगा। धन्यवाद।

DR. CHANDAN MITRA (Nominated): Sir, I have a very brief question to the Home Minister. We have been debating the issue of directive and advisory to a State Government since yesterday. Again, in your reply today, you have said that, it may be oral, but directives have been given by you to the State Government. Sir, I would like to know whether it is appropriate, or it is sanctioned, to give directive to a State Government without invoking Article 355.

Two, if the directives have been given, has any kind of advisory been given to the State Government also that those who have fled their homes must be rehabilitated and that will be monitored? And, if so, who is going to monitor it?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Home Minister. (*Interruptions*) That has nothing to do with that. *(Interruptions)* Your clarification is on the statement. *(Interruptions)*

DR. FAROOQ ABDULLAH: Sir, only one clarification. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: On Article 356 I did not prevent you. (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: Sir, I would like to seek only one clarification. It is a tragedy that Nandigram has happened. But is it not true that political parties are trying to make it much murkier than it was at the beginning? Now it has become such a situation that they want to put entire Bengal on fire. Is that not so? (*Interruptions*)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the initiator of the debate has asked me to explain, in specific terms, whether the Maowadis were there or not. I have said in so many words what was being done over there. They might not have written on their shirts and other clothes that they were Maowadis and things like that. Those people who are creating problem were there. They could have belonged to Naxalite group or Maowadi group. But they were there. That is what I have said. And you don't have to have it from me. You have liberty, but I have limitations. Now, if I disclose any information, it can be used against the police forces also. (*Interruptions*) Sushmaji wanted to know whether the method adopted by the West Bengal Government in using the force against the people who were there was correct or not. You want me give a judgement. You want me to give a judgement on that. Let it be decided by the court. (*Interruptions*) Let it be decided by the court. On the basis of information which I got through newspapers, or on the basis of the information which was sent to me through letters and on the basis of other information, without giving them an opportunity to cross-examine and examine, should I pronounce the judgement on them? *(Interruptions)* I would not do that. *(Interruptions)* Suppose the court says that they have committed a mistake, well it is for you to decide.(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, Please, (*Interruptions*) Nothing will go on record.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Well, if the court has given a verdict, I don't have to give another verdict. (*Interruptions*) Please don't disturb. *(Interruptions)*

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ..(व्यवधान).. आप बैठिए मिस्टर दिनेश त्रिवेदी। ...(व्यवधान)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Let me tell you, Madam, that your points were very valid and on all valid points, we will definitely see that action is taken. *(Interruptions)* Supposing you are doing it in this way. (*Interruptions*)

श्री उपसभापति: वृंदा जी, यह क्या है। ...(व्यवधान)... वृंदा जी, he want a clarification. (*Interruptions*)

SHRIMATI BRINDA KARAT: He should apologies. He gave false information. *(Interruptions)* He got the House adjourned. *(Interruptions)* Sir, he got the House adjourned on a false claim that there was police firing. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Noboday is interested in clarifications. *(Interruptions)* What can I do? (*Interruptions*) अब क्लेरिफिकेशंस में किसी को दिलचस्पी नहीं है। ...(व्यवधान)... Please sit down. (*Interruptions*) Otherwise, if you are not interested in clarifications, time will be over and I will have to adjourn the House. (*Interruptions*) You are not interested in the clarifications...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I am asked to express my view as to whether Naxalism is terrorism or not. Mr. Thakur wants me to give my view. You can yourself judge. You can come to the conclusion. Why do you want my opinion? (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: You are the Home Minister of India. (*Interruptions*) We are asking from the Home Minister of India. (*Interruptions*)

SHRI SURENDRA LATH (Orissa): Sir, he does not want to reply any of the points. *(Interruptions)*

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, लोकतंत्र हमें अनुमति देता है कहने के लिए ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए, यह क्या है? ...(व्यवधान)... न आपने क्लेरिफिकेशन पूछा है, न कुछ और पूछा है, लेकिन आप बीच में उठकर खड़े हो जाते हैं। ...(व्यवधान)... There is a limit. *(Interruptions)* आप कितनी बार पूछते रहते है। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: सर, यह क्लेक्टिव रिस्पांसिब्लिटी है। हम, गृह मंत्री जी, आपकी बात सही माने या दास मुंशी जी की, यह बता दीजिए? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। आपने क्लेरिफिकेशन पूछ लिया, आप बैठिए। ..(व्यवधान)..

SHRI AMAR SINGH: Who is telling the truth, you or Mr. Dasmunshi? Please tell us.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I am not here to create problems. I am here to solve the problems. *(Interruptions)* If my friend, Mr. Ahluwalia, gets up every now and then, I think, I am hitting the nail on the head. I was asked if anybody is not allowed in a particular area, was that area in a state of war or something of that kind. The question was asked by Mr. Thakur. I have made it very clear that in a democracy, everything has to be done according to the rule of law, according to our Constitution and according to our laws. Supposing, anybody is not allowed to enter his house, his farm or his village....*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. That is not possible. *(Interruptions)* I cannot allow this. *(Interruptions)* Hon. Minister not to respond to him. *(Interruptions)* Please don't respond to him. *(Interruptions)* This is not possible. *(Interruptions)*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, he is interrupting me. *(Interruptions)* Sir, I have made it very clear that if in any part of our country, anybody says that you will not be allowed to enter this place or this area, that cannot be tolerated by the Government. We shall have to take action and see that the liberty given to each one of us to go to any place, has to be protected. As far as Mr. Ahluwalia's question is concerned, first of all, the rule says that if you are raising any issue of this nature, you should give a notice to the Minister so that he can verify the facts and come prepared to answer it. That is one thing. The second thing is that he cannot depend on what is appearing in the newspapers...*(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA: The whole debate started on newspapers. I am also quoting from the newspapers...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: If somebody does so, he has to take the responsibility that the statement which he is making, is reliable. he has to authenticate it, and then, it has to be done...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: If the Times of India is not reliable, if the Anand Bazar Patrika is not reliable, which paper is reliable? ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Newspapers are reliable...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: If Mr. Sitaram Yechury quoted from the Indian Express, if he quoted from the Anand Bazar Patrika, that is reliable. When I quoted from these newspapers, that is not reliable. What Sushmaji quoted, that is not reliable...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, you can realise that if order cannot be maintained in the House, what can happen outside...*(Interruptions)*... As far as Dr. Bimal Jalan's question is concerned, it is an important question, but I won't be in a position to give in specific terms the reply to this question. This matter is with the Foreign Trade Ministry, and that Minister is

responsible. Because this issue was raised, and I was in the know of some of the facts relating to the formulation of the policy, I wanted to share it. But that is not a final thing. That is a direction in which we are moving. The final thing will be made and it will be presented to you. Your views also will be incorporated. If something has to be deleted, that will be done. If something has to be added, it will be done. But I should not be giving any authentic view on this point because I am not in the know of all the facts. Thank you.

STATEMENT BY MINISTER

National policy for farmers

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Mr. Deputy Chairman, Sir, I hereby lay the National Policy for Farmers 2007 on the Table of the House and hope that the new Policy would help regenerating our farming sector and bring in lasting improvement in the economic conditions of the farmers.

Re. Unfortunate incident at Kolkata

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, through you, I would like to point out a very serious matter. Just now, we have concluded the discussion on Nandigram...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the matter? There is no time.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, I want only one-and-a- half minute. Sir, On 21.11.07, when an unfortunate incident took place at Kolkata, in this very House, repeatedly, the House was misled by one Member...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I cannot allow that. You give notice...*(Interruptions)*... I cannot allow that. You give notice. Now, Special Mentions. Shri Ali Anwar...*(Interruptions)*...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, he should seek apology from this House...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot allow that. You give notice. It is a part of the proceedings...*(Interruptions)*... No, no. You are to follow the rule. You are not following the rule.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): It is directly broadcast...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot allow that. Brindaji, everything you think right is not right. Everything you raise is not right...*(Interruptions)*... You give notice and that will be examined. I cannot take a decision on the proceedings...*(Interruptions)*...